

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा का चतुर्थ सत्र
दिनांक 02 दिसम्बर, 2021

की

कार्य-सूची

**वित्तीय वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक
व्यय विवरण से संबंधित
कटौती प्रस्ताव**

माँग संख्या-01

आय-व्ययक शीर्षक-कृषि विभाग

1. प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कृषि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त 57,55,72,000/- (सत्तावन करोड़ पचपन लाख बहतर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 2-9. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे, श्री सुधाकर सिंह, श्री अजय कुमार सिंह, श्री अजीत शर्मा, श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-02

आय-व्ययक शीर्षक-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

10. प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त 81,000/- (इक्यासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 11-13. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत एवं श्री विजय शंकर दूबे प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-03

आय-व्ययक शीर्षक-भवन निर्माण विभाग

14. प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "भवन निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त 82,40,85,000/- (बयासी करोड़ चालीस लाख पचासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 15-19. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की भवन निर्माण से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-04

आय-व्ययक शीर्षक-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

20. प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,31,95,000/- (एक करोड़ इकतीस लाख पंचानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 21-22. श्री कुमार सर्वजीत एवं श्री विजय शंकर दूबे प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की मंत्रिमंडल सचिवालय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-09

आय-व्ययक शीर्षक-सहकारिता विभाग

23. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सहकारिता विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त 31,79,88,000/- (इकतीस करोड़ उनासी लाख अठ्ठासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 24-28. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे, श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री अजीत शर्मा प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-10

आय-व्ययक शीर्षक-ऊर्जा विभाग

29. प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ऊर्जा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त 14,24,19,000/- (चौदह करोड़ चौबीस लाख उन्नीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 30-36. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे, श्री सुधाकर सिंह, श्री अजीत शर्मा, श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ऊर्जा विभाग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-11

आय-व्ययक शीर्षक-पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

37. प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **4,40,20,000/-** (चार करोड़ चालीस लाख बीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 38-39. श्री कुमार सर्वजीत एवं श्री विजय शंकर दूबे प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-15

आय-व्ययक शीर्षक-पेंशन

40. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पेंशन" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **2,19,14,000/-** (दो करोड़ उन्नीस लाख चौदह हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

41. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पंचायती राज विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **3174,71,95,000/-** (तीन हजार एक सौ चौहत्तर करोड़ इकहत्तर लाख पंचानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 42-47. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे, श्री सुधाकर सिंह, श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री अजीत शर्मा प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-17

आय-व्ययक शीर्षक-वाणिज्य-कर विभाग

48. प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वाणिज्य-कर विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,60,00,000/- (एक करोड़ साठ लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 49-51. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत एवं श्री विजय शंकर दूबे प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की वाणिज्य-कर नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-18

आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

52. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त 45,34,00,000/- (पैंतालीस करोड़ चौतीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 53-55. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-19

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

56. प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त 4,30,60,000/- (चार करोड़ तीस लाख साठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 57-60. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-20

आय-व्ययक शीर्षक-स्वास्थ्य विभाग

61. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "स्वास्थ्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **858,90,53,000/-** (आठ सौ अठ्ठावन करोड़ नब्बे लाख तिरपन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 62-69. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे, श्री सुधाकर सिंह, श्री अजय कुमार सिंह, श्री अजीत शर्मा, श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-21

आय-व्ययक शीर्षक-शिक्षा विभाग

70. प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **7744,01,72,000/-** (सात हजार सात सौ चौवालीस करोड़ एक लाख बहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 71-78. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे, श्री सुधाकर सिंह, श्री अजय कुमार सिंह, श्री अजीत शर्मा, श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-22

आय-व्ययक शीर्षक-गृह विभाग

79. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गृह विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **464,68,74,000/-** (चार सौ चौंसठ करोड़ अड़सठ लाख चौहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 80-82. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की गृह से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-23

आय-व्ययक शीर्षक-उद्योग विभाग

83. प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **298,14,40,000/-** (दो सौ अठानवे करोड़ चौदह लाख चालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 84-88. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की उद्योग से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-26

आय-व्ययक शीर्षक-श्रम संसाधन विभाग

89. प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "श्रम संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **3,17,62,000/-** (तीन करोड़ सत्रह लाख बासठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 90-92. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की श्रम संसाधन से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-27

आय-व्ययक शीर्षक-विधि विभाग

93. प्रभारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **25,53,75,000/-** (पच्चीस करोड़ तिरपन लाख पचहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

94. श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की विधि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-29

आय-व्ययक शीर्षक-खान एवं भूतत्व विभाग

95. प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खान एवं भूतत्व विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **21,84,000/-** (इक्कीस लाख चौरासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 96-97. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की खान एवं भूतत्व नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-31

आय-व्ययक शीर्षक-संसदीय कार्य विभाग

98. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "संसदीय कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **2,57,70,000/-** (दो करोड़ सत्तावन लाख सत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

99. श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की संसदीय कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-33

आय-व्ययक शीर्षक-सामान्य प्रशासन विभाग

100. प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सामान्य प्रशासन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **8,00,41,000/-** (आठ करोड़ इकतालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 101-102. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की सामान्य प्रशासन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-35

आय-व्ययक शीर्षक-योजना एवं विकास विभाग

103. प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "योजना एवं विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **65,12,000/-** (पैंसठ लाख बारह हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 104-107. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे, एवं श्री अजीत शर्मा प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की योजना एवं विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-36

आय-व्ययक शीर्षक-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

108. प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **500,00,00,000/-** (पाँच सौ करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 109-115. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे, श्री अजय कुमार सिंह, श्री अजीत शर्मा, श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-37

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण कार्य विभाग

116. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **887,78,00,000/-** (आठ सौ सत्तासी करोड़ अठत्तर लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 117-123. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे, श्री अजय कुमार सिंह, श्री अजीत शर्मा, श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-39

आय-व्ययक शीर्षक-आपदा प्रबंधन विभाग

124. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "आपदा प्रबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1182,34,01,000/-** (एक हजार एक सौ बयासी करोड़ चौतीस लाख एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 125-130. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे, श्री सुधाकर सिंह, श्री अजीत शर्मा एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-40

आय-व्ययक शीर्षक-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

131. प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **37,47,27,000/-** (सैंतीस करोड़ सैंतालीस लाख सत्ताईस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 132-135. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-41

आय-व्ययक शीर्षक-पथ निर्माण विभाग

136. प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पथ निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **400,00,01,000/-** (चार सौ करोड़ एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 137-139. श्री विजय शंकर दूबे, श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-42

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण विकास विभाग

140. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **54,54,00,000/-** (चौवन करोड़ चौवन लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 141-144. श्री ललित कुमार यादव, श्री विजय शंकर दूबे, श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-43

आय-व्ययक शीर्षक-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

145. प्रभारी मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **14,02,12,000/-** (चौदह करोड़ दो लाख बारह हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 146-147. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की विज्ञान एवं प्रावैधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

148. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **59,32,00,000/-** (उनसठ करोड़ बत्तीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

149. श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-45

आय-व्ययक शीर्षक-गन्ना उद्योग विभाग

150. प्रभारी मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गन्ना उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1,14,33,000/-** (एक करोड़ चौदह लाख तैंतीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 151-152. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की गन्ना उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-47

आय-व्ययक शीर्षक-परिवहन विभाग

153. प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "परिवहन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **3,35,01,000/-** (तीन करोड़ पैंतीस लाख एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 154-155. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की परिवहन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-48

आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

156. प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **2853,17,21,000/-** (दो हजार आठ सौ तिरपन करोड़ सत्रह लाख इक्कीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 157-160. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे एवं श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-49

आय-व्ययक शीर्षक-जल संसाधन विभाग

161. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1535,00,00,000/-** (एक हजार पाँच सौ पैंतीस करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 162-168. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे, श्री सुधाकर सिंह, श्री अजय कुमार सिंह, श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-51

आय-व्ययक शीर्षक-समाज कल्याण विभाग

169. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "समाज कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **165,23,99,000/-** (एक सौ पैंसठ करोड़ तेईस लाख निन्यानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 170-173. श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की समाज कल्याण से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

शैलेन्द्र सिंह

सचिव

बिहार विधान सभा, पटना।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-12/2021- **5696** / वि०स०, पटना, दिनांक- **01** दिसम्बर, 2021 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

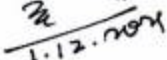
(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-12/2021- 5696 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 दिसम्बर, 2021 ई० ।

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय / आप्त सचिव, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय / सचिव, बिहार विधान सभा एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

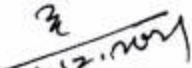

1.12.2021
(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-12/2021- 5696 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 दिसम्बर, 2021 ई० ।

प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


1.12.2021
(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।